



2026:AHC:16431

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक विविध जमानत प्रार्थनापत्र संख्या - 2220/2026

शहवाज अशरफ @ शाहबाद अशरफी

..... प्रार्थी(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य

..... विपक्षी(गण)

प्रार्थी(गण) के अधिवक्ता :- जावेद हबीब

विपक्षी(गण) के अधिवक्ता :- जी.ए.

न्यायालय संख्या - 65

माननीय न्यायमूर्ति डॉ. गौतम चौधरी

1. प्रार्थी के विद्वान अधिवक्ता तथा राज्य की ओर से विद्वान ए.जी.ए. को सुना गया तथा अभिलेख का अवलोकन किया गया।
2. प्रार्थी के विद्वान अधिवक्ता ने तर्क दिया कि एफ.आई.आर. एक वर्ष नौ माह की देरी से दर्ज की गई है। उन्होंने आगे प्रस्तुत किया कि पीड़िता ने बी.एन.एस.एस. की धारा 180 के अंतर्गत दर्ज अपने बयान में स्पष्ट रूप से कहा है कि वह प्रार्थी से बातचीत करती थी और प्रार्थी के कहने पर उसने अपने पति से तलाक लिया। आगे उसने कहा कि प्रार्थी ने उसे कोल्ड ड्रिंक में नशीला पदार्थ मिलाकर पिला दिया, जिससे वह बेहोश हो गई और प्रार्थी ने उसके साथ बलात्कार किया। विद्वान अधिवक्ता ने न्यायालय का ध्यान उक्त बयान में दर्ज प्रश्न-उत्तर की ओर आकर्षित किया, जिसमें पीड़िता ने स्पष्ट रूप से कहा है कि वह पिछले दो वर्षों से प्रार्थी के साथ पति-पत्नी के रूप में रह रही थी। हालांकि, बी.एन.एस.एस. की धारा 183 के अंतर्गत दर्ज अपने बयान में, बलात्कार के आरोप के अतिरिक्त, पीड़िता ने यह भी आरोप लगाया है कि प्रार्थी ने उसकी अश्लील तस्वीरें लीं और उन्हें दिखाकर वायरल करने की धमकी देकर उसके साथ बार-बार बलात्कार किया। अतः यह तर्क दिया गया कि बी.एन.एस.एस. की धारा 180 एवं 183 के

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



अंतर्गत दर्ज पीड़िता के बयानों में महत्वपूर्ण विरोधाभास हैं। विद्वान अधिवक्ता ने आगे तर्क दिया कि मुख्य चिकित्साधिकारी, बदायूं के कार्यालय द्वारा जारी आयु प्रमाणपत्र के अनुसार पीड़िता की आयु लगभग 26 वर्ष है। अतः पीड़िता और प्रार्थी के बीच सहमति से संबंध थे और किसी विवाद के कारण लगभग एक वर्ष नौ माह बाद यह एफ.आई.आर. दर्ज कराई गई है, जिससे अभियोजन की पूरी कहानी संदिग्ध प्रतीत होती है। उन्होंने यह भी कहा कि पीड़िता ने चिकित्सीय परीक्षण कराने से इंकार किया, जिससे अभियोजन की कहानी पर संदेह उत्पन्न होता है। आरोपों की असत्यता दर्शाने हेतु अन्य कई तर्क भी न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किए गए हैं तथा वे परिस्थितियाँ भी बताई गई हैं, जिनके कारण, अधिवक्ता के अनुसार, प्रार्थी को झूठा फँसाया गया है। यह भी आश्वासन दिया गया है कि प्रार्थी विधि की प्रक्रिया में पूर्ण सहयोग करेगा, न्यायालय द्वारा जब भी आवश्यक होगा उपस्थित रहेगा तथा न्यायालय द्वारा लगाए जाने वाली सभी शर्तों का पालन करेगा। आगे यह भी कहा गया है कि प्रार्थी दिनांक 19.11.2025 से जेल में निरुद्ध है तथा उसका कोई आपराधिक इतिहास नहीं है।

3. इसके विपरीत, विद्वान ए.जी.ए. ने जमानत प्रार्थना का यह कहते हुए विरोध किया कि विचारण से पूर्व चरण में प्रार्थी की निर्दोषता का निर्धारण नहीं किया जा सकता, अतः उसे कोई रियायत प्रदान नहीं की जानी चाहिए। यह भी कहा गया कि यदि प्रार्थी को जमानत पर रिहा किया गया तो वह पुनः इसी प्रकार के अपराध में लिप्त हो सकता है और जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग करेगा।

4. मामले के समस्त तथ्यों एवं परिस्थितियों, पक्षकारों के अधिवक्ताओं की दलीलों, साक्ष्य की प्रकृति तथा अन्य संबंधित परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए तथा मामले के गुण-दोष पर कोई अभिमत व्यक्त किए बिना, यह न्यायालय का विचार है कि प्रार्थी ने जमानत दिए जाने का पर्याप्त आधार प्रस्तुत किया है। अतः जमानत प्रार्थनापत्र स्वीकार किया जाता है।

5. अतः, प्रार्थी शहवाज अशरफ उर्फ शाहबाद अशरफी को मुकदमा अपराध संख्या 491/2025, धारा 376(2)(एन), 328, 506 भारतीय दंड संहिता, थाना सिविल लाइन्स, जनपद बदायूं में, संबंधित न्यायालय की संतुष्टि के अनुसार व्यक्तिगत बंधपत्र एवं समान राशि के दो स्थानीय जमानतदार प्रस्तुत करने पर, निम्नलिखित शर्तों के साथ जमानत पर रिहा किया जाए—

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



- i) प्रार्थी अभियोजन साक्ष्य से छेड़छाड़ नहीं करेगा।
 - ii) प्रार्थी अभियोजन साक्षियों को धमकाएगा या परेशान नहीं करेगा।
 - iii) प्रार्थी विचारण न्यायालय द्वारा नियत तिथियों पर उपस्थित रहेगा।
 - iv) प्रार्थी उस अपराध के समान कोई अन्य अपराध नहीं करेगा, जिसके लिए वह अभियुक्त है या संदेह के अधीन है।
 - v) प्रार्थी किसी भी ऐसे व्यक्ति को, जो मामले के तथ्यों से परिचित हो, प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से कोई प्रलोभन, धमकी या वादा नहीं करेगा, जिससे वह व्यक्ति न्यायालय या किसी पुलिस अधिकारी के समक्ष तथ्य उजागर करने से विमुख हो जाए अथवा साक्ष्य से छेड़छाड़ हो।
6. उपर्युक्त किसी भी शर्त के उल्लंघन की स्थिति में, संबंधित न्यायालय को विधि के अनुसार आवेदक की जमानत निरस्त करने की स्वतंत्रता होगी।

(माननीय न्यायमूर्ति डॉ. गौतम चौधरी)

22 जनवरी, 2026

एस अली